कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 102/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 15.03.2026

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 15.03.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न **कार्यवाहियां की गयी।**

थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत नाबालिग से दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 25.12.2025 को एक नाबालिग को बहला-फुसलाकर अगवा कर ले जाने की घटना के संबंध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना निजामाबाद पर दिनांक 29.12.2025 को मु0अ0सं0 417/25 धारा 87/137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान पीड़िता की बरामदगी, बयान, चिकित्सीय परीक्षण व अन्य साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 64(1) बीएनएस व धारा 4(1) पाक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई।

गिरफ्तारी का विवरण –

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अंतर्गत महिला एवं बालिकाओं की सुरक्षा हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 15.03.2026 को उ0नि0 राजनरायण पाण्डेय द्वारा मुकदमा उपरोक्त के नामित अभियुक्त आकाश पुत्र अमरजीत निवासी ग्राम ढोलापट्टी रहिला थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ उम्र लगभग 20 वर्ष को पूछताछ हेतु थाना पर बुलाया गया।

पूछताछ के दौरान विवेचना में प्राप्त साक्ष्यों व आरोपों के संबंध में जानकारी दी गई। अभियुक्त आरोपों के संबंध में संतोषजनक उत्तर एवं अपने बचाव से संबंधित कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप प्रमाणित पाए जाने पर उसे जुर्म धारा से अवगत कराते हुए उसके विधिक अधिकारों की जानकारी दी गई तथा समय 12:45 बजे थाना परिसर से ही पुलिस हिरासत में ले लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय भेजा गया।

पंजीकृत अभियोग –

1-मु0अ0सं0 417/25 धारा 87/137(2), 64(1) बीएनएस व धारा 4(1) पाक्सो एक्ट थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त –

1-आकाश पुत्र अमरजीत निवासी ग्राम ढोलापट्टी रहिला थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 20 वर्ष।

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1. उ0नि0 राजनरायण पाण्डेय, चौकी प्रभारी रशीदगंज थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़।

थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़
अवैध तमंचा व कारतूस के साथ 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार

घटना / गिरफ्तारी का विवरण –

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के कुशल निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) व क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 14.03.2026 को थाना बिलरियागंज पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग व अपराध नियंत्रण हेतु भ्रमण किया जा रहा था।

चेकिंग के दौरान छीही बाजार क्षेत्र में मौजूद पुलिस टीम को मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बगवार की तरफ से एक व्यक्ति अवैध तमंचा लेकर छीही बाजार की ओर आ रहा है तथा किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। प्राप्त सूचना पर विश्वास करते हुए पुलिस टीम द्वारा तत्परता दिखाते हुए ग्राम बगवार की ओर बढ़कर संदिग्ध व्यक्ति को घेराबंदी कर पकड़ लिया गया।

पकड़े गये व्यक्ति की तलाशी लेने पर उसके पास से **01 अदद देशी तमंचा .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर** बरामद हुआ। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा अपना नाम **साहिल पुत्र इसमदार निवासी दोरजी धौरहरा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र लगभग 23 वर्ष** बताया गया। बरामद तमंचा व कारतूस के संबंध में वैध लाइसेंस/अधिकार पत्र माँगा गया तो वह प्रस्तुत नहीं कर सका।

उक्त बरामदगी के आधार पर अभियुक्त को विधिक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार कर थाना बिलरियागंज पर **मु0अ0सं0 60/2026 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम** पंजीकृत किया गया तथा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त का नाम व पता –

1. साहिल पुत्र इसमदार निवासी दोरजी धौरहरा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 23 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग –

मु0अ0सं0 60/2026 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

बरामदगी –

• 01 अदद देशी तमंचा .315 बोर
• 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 43/2019 धारा 120बी/376डी/504/506 भादवि व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट व ¾ पाक्सो एक्ट थाना बिलरियागंज आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 209/2024 धारा 498ए/323/427/504/506 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट व 3/4 मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम 2019 थाना बिलरियागंज आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0 400/2024 धारा 324(4)/351(2) बीएनएस थाना बिलरियागंज आजमगढ़।
4. मु0अ0सं0 45/2025 धारा 115(2)/126(2)/351(2)/352 बीएनएस थाना बिलरियागंज आजमगढ़।
5. मु0अ0सं0 109/2025 धारा 131/351(3)/352 बीएनएस थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
6. मु0अ0सं0 294/2025 धारा 238, 308(5), 351(3), 79 बीएनएस व 72 आईटी एक्ट थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 सुधीर पाण्डेय थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़
2. उ0नि0 मनीष कुमार विश्वकर्मा थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़
3. का0 विवेक यादव थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़
4. का0 संजय सिंह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़
5. का0 राहुल यादव थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़